राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 958/2008/टोंक.

सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, टोंक. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शुभम् इण्डस्ट्रीज, निवाई, टोंक. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/07/2016

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 28/आरएसटी/2007–08 में पारित किये गये आदेश दिनांक 03.10.2007 के विरूद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिस आगे **'अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि वर्ष 2004–05 की प्रथम तिमाही की करमुक्त बिक्री रूपये 2,46,270/– व द्वितीय तिमाही की बिक्री 'शून्य' प्रदर्शित करते हुए बिक्री विवरण प्रपत्र क्रमशः दिनांक 09.08.2004 व 02.11.2004 को प्रस्तुत किये गये। तृतीय व चतुर्थ तिमाही के कोई बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किये गये। प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरूद्ध करापवंचन की शिकायत प्राप्त होने पर सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड–प्रथम, टोंक (जिसे आगे **'जांच अधिकारी'** कहा जायेगा) को व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2004–05 की बिक्री की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इस पर जांच अधिकारी द्वारा दिनांक 18.06.2005 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी कि व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में मैसर्स आसाम एडिबल ऑयल्स, निवाई को रूपये 1,08,14,570/– की सरसों की बिक्री 'डी' फॉर्म के समर्थन से की गयी है, किन्तु उक्त बिक्री को ना तो बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रस्तुत किया गया एवं ना ही उक्त बिक्री पर देय बिक्री कर राजकोष में जमा करवाया गया है। इस पर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त–टोंक (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 27.06.2005 के लिये कारण बताओ नोटिस जारी

लगातार.....2

किया गया। दिनांक 27.06.2005 को व्यवहारी द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ तिमाही के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करते हुए क्रमशः रूपये 2,86,898/–; 1,03,255/– व 'शून्य' बिक्री दर्शायी गयी। किन्तु उक्त बिक्री पर देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया।

3. कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को दिनांक 20.07.2005 को तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र व अन्य लेखा–पुस्तकों प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया। किन्तु नियत दिनांक को ना तो प्रत्यर्थी व्यवहारी उपस्थित हुआ एवं ना ही बिक्री विवरण प्रपत्र व लेखा–पुस्तकें प्रस्तुत की गयी। इस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों एवं जांच अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि का अधिनियम की धारा 28 व 65 के तहत कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.07.2005 को पारित करते हुए आलौच्य अवधि में व्यवहारी की कुल बिक्री रूपये 1,12,04,723/– पर 2 प्रतिशत की दर से कर रूपये 2,24,094/– एवं करापवंचन के लिये धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 4,48,188/– कुल रूपये 6,72,282/– का आरोपण किया गया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश से सृजित शास्ति के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी। अपीलीय अधिकारी ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2007 से व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए व्यवहारी द्वारा प्रथम व द्वितीय तिमाही में संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्रों के जरिये घोषित बिक्री रूपये 3,90,153/– (2,86,898 + 1,03,255) को करापवंचित बिक्री मानते हुए इस पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी, जबकि मैसर्स आसाम एडिबल ऑयल्स को की गई बिक्री रूपये 1,08,14,570/–, जो कि बिक्री विवरण प्रपत्रों में प्रदर्शित नहीं की गयी है, पर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की प्रथम व द्वितीय तिमाही के बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें गलत विवरण प्रस्तुत किया गया। व्यवहारी की बिक्रियों की जांच की जाने पर व्यवहारी द्वारा अपनी बिक्रियां घोषित नहीं किया जाना तथा देय कर राजकोष में जमा करवाया जाना नहीं पाया गया। व्यवहारी द्वारा तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र आज दिनांक

लगातार.....3

तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, ना ही देय कर राजकोष में जमा करवाये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। मैसर्स आसाम एडिबल ऑयल्स को की गयी बिक्री आज दिनांक तक घोषित नहीं की गयी है। इस प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा स्पष्ट प्रमाणित है। अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र व लेखा–पुस्तकें प्रस्तुत किये जाने हेतु यथोचित अवसर प्रदान किया गया, किन्तु नियत दिनांक को ना तो व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित हुआ और ना ही वांछित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अग्रिम कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी की प्रथम व द्वितीय तिमाही की घोषित बिक्रियों को करापवंचन मानते हुए इस पर आरोपित कर व ब्याज की पुष्टि की गयी है, किन्तु जो बिक्री व्यवहारी द्वारा घोषित ही नहीं की गयी तथा जिसका कर भी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया, उसे स्वीकार करते हुए इस सीमा तक आरोपित शास्ति को अपास्त किया जाना पूर्णतः अविधिक है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण बिक्री विवरण प्रपत्रों में गलत विवरण दर्ज कर दिया गया तथा तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया एवं देय कर भी राजकोष में जमा नहीं करवाया जा सका। जिसमें प्रत्यर्थी व्यवहारी की कोई करापवंचन की मंशा नहीं थी। परिस्थितिवश व्यवहारी द्वारा सहयोग नहीं किया जा सका। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. हस्तगत प्रकरण का गुणावगुण पर निस्तारण किये जाने से पूर्व अधिनियम की धारा 25, 26, 75 व 28 का अवलोकन किया जाना समीचीन होगा, जो निम्न प्रकार है :–

Section 25. Payment of tax

(1) Tax payable under this Act shall be deposited into a government treasury or a bank authorised to receive money on behalf of the State Government on the basis of the accounts of a dealer in such manner and at such intervals as may be prescribed for different categories of dealers.

लगातार.....4

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government may by notification in the Official Gazette require any dealer or class of dealers specified therein, to pay tax at intervals shorter than those prescribed under sub-section (1).

(3) Notwithstanding anything contained in sub-sections (1) and (2), where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette, defer the payment of tax payable by any class of dealers, with or without interest, for any period on such conditions and under such circumstances as may be specified in the notification.

(4) Notwithstanding anything contained in this Act, in the case of a works contract, an amount in lieu of tax may be deducted by the awarder at such rate not exceeding three per cent of the total value of the contract, in such manner and under such circumstances as may be prescribed, from every bill of payment to a contractor and such sum shall be deposited or credited in the government account within the specified time and in the prescribed manner.

(5) Every deposit of tax or deduction of amount in lieu of tax made under this section shall be deemed to be provisional subject to adjustment against the tax liability determined in the assessment for any year made under section 29.

Section 26. Filing of returns

(1) Every registered dealer, and such other dealer as may be required by notice to do so by the assessing authority shall furnish prescribed returns, for the prescribed period, in the prescribed form, in the prescribed manner and within the prescribed time to the assessing authority.

(2) The assessing authority may extend the date for submission of any return to be filed by any dealer or class of dealers under sub-section (1) by a period not exceeding fifteen days.

(3) Every return to be filed under sub-section (1) shall be accompanied by a treasury receipt or receipt of the bank authorised to receive money on behalf of the State Government showing the deposit of full amount of tax due on the basis of the return.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), no return shall be required to be filed by a registered dealer who deals in generally exempted and/or tax paid goods and whose turnover in the previous year does not exceed such limit as may be prescribed with or without any condition.

लगातार.....5

(5) Where a dealer discovers any omission or error in any return furnished by him under sub-section (1), he may furnish a revised return within [such time as may be prescribed not exceeding three hundred sixty five days] after the close of the year to which it relates, and the burden of proving that the omission or the error was *bona fide*, shall be on such dealer.

Section 75. Accounts to be maintained by a dealer -

(1) Every dealer liable to pay tax under this Act shall keep and maintain a true and correct account of his business activities in an intelligible form including the value and quantity of the goods received, manufactured, sold or otherwise disposed of or held in stock by him.

(2) Every manufacturer liable to pay tax under this Act shall, in addition to accounts referred to in sub-section (1), maintain a stock book of raw materials used and finished goods produced.

(3) The accounts required to be maintained under sub-section (1) shall be kept by the dealer at the place (s) of business as recorded in his certificate of registration, and the stock book as referred to in sub-section (2) shall be kept at the place where manufacturing activity is carried on, however final accounts, annual statement, registers and documents shall be kept at principal place of business.

(4) Where a dealer has established branches at places in the State other than the principal place of business, the necessary accounts, registers and documents relating to the business activities being carried on at each branch shall, without prejudice to the provisions of sub-section (3), be kept by him at such branch.

(5) The accounts, registers and documents, relating to a year shall be preserved and kept by a dealer for six years excluding the year to which they relate, and this period of six years shall be deemed extended by such time until any pending proceeding referring thereto under the Act is finally disposed of.

Section 28. Provisional assessment in case of avoidance or evasion of tax -

(1) Where the assessing authority has reason to believe that a dealer has avoided or evaded tax or has not paid tax according to law, he may after giving the dealer a reasonable opportunity of being heard, determine at any time and for any period that taxable turnover of such dealer on which tax has been avoided or evaded or has not been paid according to law and assess the tax to the best of its judgment.

लगातार.....6

(2) The amount assessed in sub-section (1), after the adjustment of any amount deposited in advance in this behalf, if any, shall be payable by the dealer within thirty days from the date of service of the notice, or within a period of less than thirty days as may be determined by the assessing authority in the special circumstances and for the reasons to be recorded in writing.

(3) The provisional assessment under sub-section (1) shall not be made after the expiry of a period of six months from the date of making out the case, but the Commissioner may, for reasons to be recorded in writing in any particular case extend this time limit by a further period not exceeding six months.

9. उक्त प्रावधानों में स्पष्ट किया गया है कि प्रत्येक व्यवहारी अपनी लेखा–पुस्तकों का संधारण सद्भाविक रूप से नियमानुसार करेगा; विहित समयावधि में बिक्री विवरण प्रपत्र कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा; देय कर का सद्भाविक रूप से राजकोष में जमा करवायेगा तथा व्यवहारी द्वारा किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाने पर अस्थाई कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए नियमानुसार कर, ब्याज व शास्ति का आरोपण किया जावेगा।

10. प्रकरण में उपलब्ध रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि की प्रथम तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 09.08.2004 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें करमुक्त बिक्री रूपये 2,46,270/– प्रदर्शित की गयी व कर योग्य बिक्री 'शून्य' प्रदर्शित की गयी। द्वितीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 02.11.2004 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें करमुक्त व कर योग्य बिक्री 'शून्य' प्रदर्शित की गयी। प्रत्यर्थी व्यवहारी के रिकॉर्ड की जांच की जाने एवं कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के पश्चात व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ तिमाही के बिक्री विवरण प्रपत्र दिनांक 06.07.2005 को प्रस्तुत किये गये, जिनमें 2 प्रतिशत से कर योग्य बिक्री क्रमशः रूपये 2,86,898/–; 1,03,255/– व 'शून्य' प्रदर्शित की गयी। किन्तु उक्त बिक्री से सम्बन्धित देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया। तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत ही नहीं किया गया, ना ही देय कर राजकोष में जमा करवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी को बिक्री विवरण प्रपत्र एवं लेखा–पुस्तकें प्रस्तुत किये जाने हेतु समुचित अवसर प्रदान किया गया, किन्तु नियत दिनांक को व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं होना तथा वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करना व्यवहारी के असहयोगात्मक रवैये को इंगित करता है, साथ ही प्रकरण में यह भी निर्विवादित है कि व्यवहारी द्वारा देय कर राजकोष में जमा करवाये जाने बाबत कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं रहता है।

लगातार.....7

11. प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 75 के तहत लेखा–पुस्तकों का सही व शुद्ध तरीके से रखना साबित नहीं किया गया है। व्यवहारी द्वारा अधिनियम की धारा 26 के तहत विहित रिटर्न प्रस्तुत करने को साबित नहीं किया गया है। अधिनियम की धारा 25 की पालना में प्रत्येक व्यवहारी पर वैधानिक बाध्यता है की वह अपनी लेखा पुस्तकों के आधार पर देय कर का भुगतान राज्य सरकार द्वारा विहित समयावधि में किया जाये। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि के देय कर का भुगतान किया जाना साबित नहीं किया गया है। मैसर्स आसाम एडिबल ऑयल्स को की गई बिक्री घोषित नहीं की गयी, देय कर राजकोष में जमा कराया जाना साबित नहीं किया गया तथा इस अवधि का बिक्री विवरण प्रपत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. हस्तगत प्रकरण में समग्रता के परिप्रेक्ष्य में समस्त सुसंगत परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कारित किये गये दोष के सम्बन्ध में कोई उचित व पर्याप्त कारण नहीं है। प्रत्यर्थी व्यवहारी विधिक बाध्यताओं की पालना करने मे असफल रहें है। व्यवहारी ने संचेतन मस्तिष्क से विधिक दायित्वों की अवहेलना की है तथा जानबूझकर अवज्ञाकारी कृत्य किया है।

13. अपीलार्थी व्यवहारी ने अधिनियम की धारा 65 के अधीन बिक्री घोषित नहीं करके शास्ति आमंत्रित की है। लेखा पुस्तकों में बिक्री को प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं, आज दिनांक तक तृतीय तिमाही का बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत करना साबित नहीं किया गया है।

14. अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण के तथ्यों से सर्वथा विपरीत जाकर निर्णय पारित किया जाना पाया जाता है। व्यवहारी द्वारा प्रथम, द्वितीय व चतुर्थ तिमाही के संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हैं, जिनमें प्रदर्शित बिक्री को अपीलीय अधिकारी द्वारा बिना किसी कारण के अस्वीकार करते हुए इस सीमा तक कर व शास्ति की पुष्टि की गयी है, जबकि तृतीय तिमाही का ना तो बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है, ना ही इस अवधि में की गई बिक्री पर देय कर राजकोष में जमा करवाया गया है, इसके बावजूद अपीलीय अधिकारी द्वारा इस अवधि की बिक्री पर आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया जाना विधिसम्मत नहीं माना जा सकता।

15. प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा स्वतः प्रमाणित है, प्रथमतः व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों में करमुक्त बिक्री ही दर्शाई गई, कर योग्य बिक्री 'शून्य' दर्शाया जाना व्यवहारी की करापवंचन की मंशा को प्रमाणित करता है। द्वितीय, व्यवहारी की जांच में पाये गये तथ्यों के आधार पर

लगातार.....8

व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में संशोधित बिक्री विवरण प्रपत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें प्रथम व द्वितीय तिमाही में कर योग्य बिक्री भी प्रदर्शित की गयी, किन्तु देय कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया। तृतीय, मैसर्स आसाम एडिबल ऑयल को की गई बिक्री से सम्बन्धित कोई दस्तावेज कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये, ना ही देय कर राजकोष में जमा करवाया गया। प्रत्येक व्यवहारी से अपेक्षा की जाती है कि वह सद्भाविक रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा। हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन, सद्भाविक रूप की बजाय करापवंचित मानसिकता से किया गया है। प्रकरण में व्यवहारी की करापवंचन की मंशा प्रमाणित है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित शास्ति पूर्णतः विधिसम्मत है।

16. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं तर्कसंगत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य पाया जाता है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश रेकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप होने से यथावत बहाल किये जाने योग्य पाया जाता है।

17. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर, अपीलीय आदेश अपास्त किया जाकर कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.07.2005 यथावत बहाल (Restore) किया जाता है।

18. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी 14.07.2016

(मनोहर पुरी)
सदस्य